जारी आवश्यक

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
(प्रशिक्षण निदेशालय)

क्रमांकः प–11(06)प्रशि0/विविध/09/ 2030 दिनांक : 01-05-2009

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंजेंज/सीआईडी (सीबी/आईबी)/एसीबी/एटीएस/रेल्वेज/पुलिस दूर संचार, राजस्थान।
3. निदेशक, आर0पी0ए0 जयपुर/एससीआरबी/पी0टी0सी0/एफ.एस.एल जयपुर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।
5. समस्त कमाण्डेण्ट आरएसी बटा0/हाडारानी बटा0 मय आई0आर0 बटालियन्स नई दिल्ली/एम0बी0सी0 खैरवाड़ा।

विषय :– कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स के संबंध में।

महोदय,

श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ने पुलिस कर्मियों/मंत्रालयिक कर्मियों को तीन माह के कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स कराने के निर्देश प्रदान किये हैं। अतः निर्देशानुसार सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र सं0एफ–07(103)डीओआईटी/ डिपार्ट0/08/एमएल–64 दिनांक 02.04.2009 एवं एमएल–65 दिनांक 02.04.2009 की छाया प्रति संलग्न भेजकर निवेदन है कि आपके अधीन जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालयों/वृत्त कार्यालयों/पुलिस थानों/पुलिस लाईन्स में पदस्थापित पुलिस कर्मियों/मंत्रालयिक कर्मचारियों को उक्त कोर्स करवाने के लिये सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, की बेवसाईट www.rkcl.in पर समस्त सूचनायें उपलब्ध है, तथा इसके 1347 केन्द्र कार्यरत हैं। उक्त कोर्स कराने के लिये आप अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर विस्तृत जानकारी उक्त केन्द्रों से प्राप्त कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि उक्त कोर्स की फीस 2300/– रूपये प्रति प्रशिक्षणार्थी है, जो प्रशिक्षणार्थी को स्वयं को जमा करानी होगी। उक्त कोर्स में उत्तीर्ण होने पर यह राशि प्रशिक्षणार्थी को राज्य सरकार द्वारा पुर्नभरण कर दी जावेगी।

अतः निर्देशानुसार पुलिस कर्मियों/मंत्रालयिक कर्मियों को तीन माह के कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स कराये जाने के संबंध में की गई कार्यवाही से दिनांक 20.05.2009 तक इस कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करावें।

संलग्न :उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप महानिरीक्षक पुलिस(प्रशिक्षण)
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि–श्री जी0के0 गर्ग, चीफ एग्जूकेटिव(मार्केटिंग) राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, 7ए, झालाना औधोगिक क्षेत्र, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप महानिरीक्षक पुलिस(प्रशिक्षण)
राजस्थान, जयपुर।